न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 107/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

सीमा पत्नी अभिषेक जोशी निवासी शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1 बलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत निवासी शाहपुरा
2 लववर्धन सिंह पुत्र अक्षय सिंह राजपूत निवासी शाहपुरा
3–6 महेन्द्र पालसिंह, शक्तिसिंह, योगेन्द्रपाल सिंह, जोगेन्द्रपाल सिंह पुत्र चंचल सिंह राजपूत निवासी शाहपुरा
7 छोटूसिंह पुत्र स्वरूपसिंह राजपूत निवासी शाहपुरा
8 अजीतसिंह पुत्र स्वरूपसिंह राजपूत निवासी ए–125 चन्द्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री विरेन्द्र पत्रिया**
अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12/10/2020

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीया के ग्राम **सूरजपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 114 रकबा 0.75** कुल किता 1 रकबा **0.75 हैक्टेयर** हैक्टेयर का प्रार्थीया खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम सूरजपुरा संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीया खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **सूरजपुरा** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.75 हैक्टेयर हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 150/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.21 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)